संख्या- 9/2021/डी-29/38-2-2021-5डब्लू(डी)/2015टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2021**

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु धनराशि रू0 670.00 लाख के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15/लेखा-पेंशन/2020-2021, दि0 12.01.2021 एवं शासन के पुनर्विनियोग संख्या-आर0ई0-290-यू0ओ0-ई0-2-57/दस-2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान-01 वेतन मद से लेखाशीर्षक 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में भुगतान हेतु रू0 रू0 670.00 लाख (रूपये छः करोड़ सत्तर लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत बचत की मद में पुनः धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी स्वीकृति की धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि के आहरण/व्यय के संबंध में अन्य संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2501 के अन्तर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-57/दस-2021 दिनांक 25 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 9/2021/ डी-29(1)/38-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2020-21..... प्रपत्र बी0एम0 9(भाग-1)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर	**आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनयोग**
1	2	3	4	5	6 (2-5)
लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान-01 वेतन	68515.00	670.00	670.00	670.00	67845.00
योग	68515.00	670.00	670.00	670.00	67845.00

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर	**वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनयोग (8+11)**
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1200.00	1870.00	670.00	670.00	1870.00
योग	1200.00	1870.00	670.00	670.00	1870.00

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

1- 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0 670.00 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

2- 03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 670.00 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता शासनादेश सं0-डी-26/38-2-2020-27डब्लू(डी)/2018 दिनांक 23.03.2020 द्वारा डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों को ग्रेच्युटी की धनराशि की सीमा रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 20.00 लाख किये जाने व शासनादेश सं0-डी-223/38-2-2020-27डब्लू(डी)/2018 दिनांक 07.08.2020 द्वारा दिनांक 18.07.2016 से 29.03.2018 के मध्य सेवानिवृत्त कार्मिकों की ग्रेच्युटी का आकलन उपर्युक्त शासनादेश के अनुरूप किये जाने के कारण है।

3- प्रमाणित किया है कि उक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअलके प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-290-यू0ओ0-ई-2-57/दस-2021, दि0 25 जनवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव
अनु सचिव, वित्त विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 9/2021/डी-29(1)/38-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।